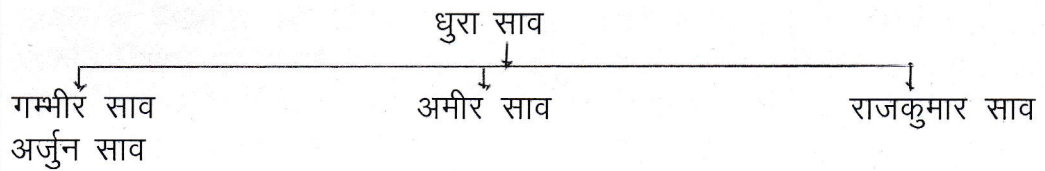


न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

	<u>आदेश</u> वाद सं० एम० 13/2021 धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत। प्रथम पक्ष – हीरालाल साहु बगैरह । बनाम द्वितीय पक्ष – राजेन्द्र साहु बगैरह ।	
1 24/9/21	वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी, कामडारा के अप्राथमिकी सं० 05/2020 दिनांक 11/06/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष हीरालाल साहु उम्र 58 वर्ष पिता भांडु साहु ग्राम सुरुवा थाना कामडारा जिला गुमला वर्तमान पता पहाड़ी मंदिर थाना रातु जिला राँची बनाम द्वितीय पक्ष (1) राजेन्द्र साहु उम्र 54वर्ष पिता भांडु साहु (2) अजय साहु उम्र 28 वर्ष (3) विजय साहु उम्र 25 वर्ष (4) संजय साहु उम्र 23 वर्ष (5) धनंजय साहु उम्र 24वर्ष पिता सभी राजेन्द्र साहु सभी ग्राम कराकेला थाना कामडारा जिला गुमला के बीच मौजा कराकेल के खाता सं० 07 प्लॉट सं० 424 रकबा 1.54 एकड़ भूमि चौहदी 30 तुरबुल पोकला पक्की सड़क द० बुधनी तोपनो का जमीन पु० ढाले तोपनो का रैयती जमीन प० राजेन्द्र साहु का जमीन में मकान बनाने एवं बंटवारा को लेकर दोनो पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। फलस्वरूप शांति भंग होने संबंधी प्रतिवेदन थाना बसिया द्वारा किया गया है। थाना प्रभारी बसिया के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मर्दनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए द० प्र० सं० की धारा 144 प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, कामडारा से उक्त वादगत् भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की मांग किया गया। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये हैं जो निम्न प्रकार है:- प्रथम पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो कर अपना जवाब, भूमि से संबंधित कागजात दाखिल करते हैं कि उक्त वाद मौजा कराकेला थाना कामडारा खाता सं० 07 प्लॉट सं० 424 रकबा 1.54 एकड़ भूमि से संबंधित है। प्रश्नगत जमीन प्रथम पक्ष हीरालाल साहु के पिता भांडु साव एवं धुरा साव के द्वारा रजिस्टर्ड पट्टा सं० 1474/75 दिनांक 06/10/1975 को मदन मोहन लाल साव से खरीदगी लिया गया है। जमीन सम्मिलात जमीन है और आज तक प्रश्नगत जमीन का सभी पक्षकों के बीच जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। प्रश्नगत जमीन के साथ अन्य खाता व प्लॉट सं० कुल रकबा 14 एकड़ 97 डी जमीन भी उक्त रजिस्टर्ड निबंधित पट्टा सं० 1474/75 के द्वारा प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के पिता एवं धुरा साव के द्वारा लिया गया है। खरीदगी जमीन के कंतागण भांडु साव और धुरा साव की वंशावली निम्नलिखित है। भांडु साव ↓ हीरालाल साहु (प्रथम पक्ष) राजेन्द्र साहु (द्वितीय पक्ष) गौधी साहु	



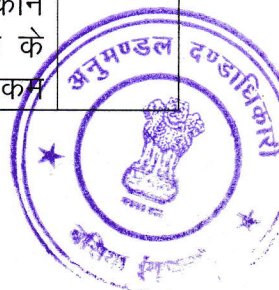


उक्त जमीन की बंटवारा को लेकर जब भी कोई मीटिंग था बैठक बुलाई जाती है तो द्वितीय पक्ष के सदस्य कानून को अपने हाथ लेकर मारपीट करते हैं और शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्य आदतन अपराधी किस्म हैं। जिसके लिए कामडारा थाना प्रभारी के द्वारा एम 09/2021 झारखण्ड सरकार बनाम अजय साहु व अन्य के विरुद्ध 110 द0प्र0सं. के तहत केस दर्ज है जो माननीय न्यायालय के यहाँ लंबित है। द्वितीय पक्ष के सदस्य प्रतिबंधित संगठन को समर्थन करते हैं जो एम केस नं0 09/2021 अंतर्गत धारा 110 द0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही के पुलिस प्रतिवेदन से स्पष्ट है। जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के सदस्य धुरा साव के पुत्र अर्जुन साहु के साथ जानलेवा हमला किये थे जिसके लिए द्वितीय पक्षों के विरुद्ध कामडारा कांड सं0 29/2021 अंतर्गत धारा 341, 504, 506, 323, 307 भा0द0वि0 दर्ज हुआ है। प्रश्नगत जमीन सम्मिलित जमीन है और उक्त जमीन को लेकर सिविल जज सिनियर डिविजन 1 में आर्जिनल पार्टिशन सूट सं0 09/2018 अपीला देवी बनाम भांडु साहु बगैरह दाखिल किया गया है जो अभी लम्बित है। द्वितीय पक्ष के सदस्य दबंग और झगड़ालू किस्म के प्रवृत्ति हैं और अपनी दबंगई से भांडू साव की आड में सम्मिलात जमीन को हड़पना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्य कभी भी प्रश्नगत जमीन को लेकर प्रथम पक्ष के सदस्य पर हमला कर सकते हैं। श्रीमान से अनुरोध है कि प्रश्नगत जमीन पर 144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही प्रथम पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए द्वितीय पक्ष के सदस्यों के विरुद्ध स्थिर किया जाय।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल कागजात।

1. रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।
2. सरकारी रसीद की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो कर अपना जवाब, भूमि से संबंधित कागजात दाखिल करते हैं कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष सगे भाई हैं एवं अपने पिता श्री भाडु साहु के द्वारा अपने निजी स्व0 अर्जित सम्पत्ति के बख्सीस में प्राप्त के उपरान्त ग्राम कराकेला स्थित जमीन पर शांतिपूर्वक द्वितीय पक्ष के सदस्यगण दखलकार रहे हैं। ग्राम कराकेल स्थित पैतृक सम्पत्ति खाता सं0 07 प्लॉट सं0 424 रकबा 1.54 एकड़ भूमि जो द्वितीय पक्ष का आवासीय परिसर है उक्त जमीन को खरीदगी दोनो पक्षों के जीवित पिता एवं दादा श्री भाडु साहु के द्वारा खरीदगी प्राप्त है जिसे श्री भाडु साहु के उपस्थिति एवं सहमति से द्वितीय पक्ष के द्वारा आवासीय परिसर पक्का मकान का निर्माण किया जा रहा है। दोनो पक्षों के पिता श्री भाडु साहु जीवित एवं सक्षम व्यक्ति हैं चूँकि उपरोक्त वर्णित जमीन श्री भाडु साहु स्व0 अर्जित सम्पत्ति है एवं भाडु साहु अपने पुत्रों को सुविधा अनुसार अपना निजी स्वअर्जित सम्पत्ति वितरण करने के लिए स्वंत्र है। अतः प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया दफा 144 द0प्र0सं0 का आरोप बिल्कुल बेबूनियाद एवं आधारहीन वो सत्य से परे है। प्रथम पक्ष एक लालची प्राकृति है एवं अपने पिता श्री भाडु साहु के निर्णय को नहीं मानता है तथा प्रशासन को गुमनाम कर द्वितीय पक्ष के हक वो दखल का जमीन मकान पर दावा कर रहा है। इस वाद के पुलिस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष के द्वारा रॉची स्थित जमीन 0.06 डी0 को भाडु साहु से बिक्री कराकर सारा रकम



अपने मकान बनाने में उपयोग किया है तथा वृद्ध पिता भाडु साहु का कभी सेवा टहल वो देखभाल नहीं किया है। अतः भाडु साहु के सहमति से द्वितीय पक्ष के मकान निर्माण को रोकने का प्रथम पक्ष को कोई अधिकारी नहीं है। प्रथम पक्ष के द्वारा दिया आवेदन में भाडु साहु में स्वअर्जित सम्पति होने की बात को छिपा कर पैतृत सम्पति के रूप में गलत दावा प्रस्तुत किया गया है। भाडु साहु स्वअर्जित सम्पति में प्रथम पक्ष का दफा 144 द0प्र0सं0 का वाद लाना विधिसम्मत नहीं है। अतः यह वाद खारिज योग्य है। भाडु साहु के जीवित होने के कारण उनकी सहमति के बिना उनके स्वअर्जित सम्पति पर प्रथम पक्ष के द्वारा दावा एवं बंटवारा का मांग किया जाना न्यायपूर्ण नहीं है। चँकि भाडु साहु की सहमति से निर्मित मकान को दफा 144 द0प्र0सं0 लगाना न्यायोचित नहीं है अतः प्रथम पक्ष का आवेदन खारिज करने योग्य एवं द्वितीय पक्ष के हित में निर्णय योग्य है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर प्रथम पक्ष के दफा 144 द0प्र0सं0 आवेदन को रद्द करते हुए द्वितीय पक्ष के हित में निर्णय करने की महान कृपा किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उक्त वाद के संबंध में दाखिल जवाब, भूमि संबंधी कागजात पुलिय प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद मौजा कराकेल के खाता सं0 07 प्लॉट सं0 424 प्लॉट सं0 424 रकबा 1.54 एकड़ भूमि से संबंधित है। जिसमें द्वितीय पक्ष के द्वारा आवास का निर्माण किया जा रहा है, आवास निर्माण को लेकर प्रथम पक्ष के द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है। उभय पक्ष एक ही वंशज से आते हैं। द्वितीय पक्ष के राजेन्द्र साहु के द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया उक्त वादगत भूमि स्वतः एवं मापी से संबंधित प्रतीत होता है। उक्त वादगत भूमि का बंटवारा हेतु सक्षम न्यायालय से संभव है।

अतः वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।




अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

प्रतिलिपित:- थाना प्रभारी कामडारा को उनके अप्राथमिकी सं0 05/2021 दिनांक 11/06/2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।